



वर्ल्ड ऑफ वर्क रपॉर्ट: ILO

प्रलिस के लयः

अंतरराष्ट्रीय शरु संगठन, वर्साय की संघ, राषुतर संघ ।

डेनुस के लयः

वर्ल्ड ऑफ वर्क रपॉर्ट पर ILO डॉनटर के नषुकरष और सफररररर ।

करुा डें करुु?

हल ही डें [अंतरराष्ट्रीय शरु संगठन \(ILO\)](#) ने **वर्ल्ड ऑफ वर्क रपॉर्ट पर ILO डॉनटर का नौवाँ संसकरण ज़ारी करुा**, जसडें कहा गया है कवरष 2021 की अंतड तडडही के डौरलन डहतुतुवडूरुण ललड के डलड **वर्ष 2022 की डहली तडडही डें वैशुवक सुतर पर कलड के घंठुु की संखुडल डें गररलवट आई है**, जो [कुवडु-19](#) से डहले रुरुगलर की सुथतरर से 3.8 डुरतरशत कड है ।

- इसका डुखुड करलण हल ही डें ऑन डें लुकडलउन, [डुकुरेन एवं रूस के डीऑ संघरष](#) और [खलडु एवं इंधन की कीडतुु](#) डें वैशुवक वुडुध है ।
- रपॉरुट इस संडरुड डें **वैशुवक अवलुकन डुरडलन कररती है कडरश कडसे अनडडडतर शरु डलज़लर डें सुधलर कर रहे हैं**, जो डुकुरेन के खलललफ रूसी आकरलडकतल, डडुती डुडुरलसुडुीत और सखुत कुवडु-19 रुकथलड डुडलरुु की नररतररतल जडसे करलकुु से डलधतर हुआ है ।

रपॉरुट के अनुड नषुकरष:

वैशुवकः

करुलडलवध डें कडडः

- डलरत और [नडुन-डधुडड-आड डलले देशुु](#) ने वरष 2020 की डूसरी तडडही डें **करुलडलवध गररलवट डें लडंगक अंतर कल अनुडव करुा** ।
- हललुक डलरत डें **डहललललुु के कलड के घंठुु कल डुरलरडुडक सुतर डेहड कड** थल, डलरत डें डहललललुु डुवलरल करुड गड करुड के घंठुु डें कडड कल **नडुन-डधुडड-आड डलले देशुु के सडगुर डुरडरशन डर डलडुली डुरडलव डडल है** ।
- इसके वडुडररत डलरत डें डुरुषुु डुवलरल करुड करुने के घंठुु डें कडड कल **सडगुर डुरडरशन डर डडल डुरडलव डडलतल है** ।

वकसतर और वकलसशील अरुथवुडलसुथललुु के डीऑ अंतरः

- वकसतर और वकलसशील अरुथवुडलसुथललुु के डीऑ डहतुतुवडूरुण व डडुती असडलनतल डनी हुई है** ।
- जहलुु उऑऑ आड डलले देशुु डें कलड के घंठुु डें सुधलर डेखल गडल, वही नडुन और नडुन-डधुडड-आड डलली अरुथवुडलसुथललुु डें संकट-डूरुव आधलर रेखल की तुलनल डें वरष की डहली तडडही डें 3.6 एवं 5.7 डुरतरशत की गररलवट डेखुी गरुई ।

करुलडलसुथल डंड हुुने की डुरवुतुतः

- वरष 2021 के अंत और वरष 2022 की शुरुआत डें संकषुडत उऑलल के डलड वरुतडलन डें करुलडलसुथल डंड हुुने की डुरवुतुतल डें गररलवट आई है ।
- जडकल अधकलंश शरुडक कसुी-न-कसुी डुरकर के करुलडलसुथल डुरतडुंध डलले देशुु डें रहते हैं, लेकनल डुरतडुंध कल सडसे गडुडर डुरुड (आवशुडक करुलडलसुथलुु कुु ऑडकर सडुु के लडु अरुथवुडलसुथल-वुडलडुी आवशुडक डंड) अब लडगडग सडलडुत हुु गडल है ।
- हलल ही डें सखुती के सलथ करुलडलसुथलुु कुु डंड करुने डें डह कडुुी डुरुडु और डधुड एशलडल डें वशुष डुरुड से सुडसुट की गरुई थुी, जहलुु वरुतडलन डें 70% शरुडकुु कुु डल तुु केवल अनुशंसतर डंड कल सलडनल करुनल डडलतल है डल डललुकुल डुु नही ।

रुरुगलर डुनः डुरलडुतल डुरवुतुतलडुु डें वऑलनः

- कलड के घंठुु डें सडगुर वऑलन के अनुरुड वरष 2021 के अंत तक अधकलंश उऑऑ-आड डलले देशुु डें **रुरुगलर के सुतर डें सुधलर हुुआ थल**, जडकल अधकलंश डधुडड-आड डलली अरुथवुडलसुथललुु डें घलटे की डुरवुतुतल डनी रही ।
- वरष 2019 की अंतड तडडही से रुरुगलर-से-ऑनसंखुडल अनुडलत डें अंतर वरष **2021 के अंत तक सडलडुत हुु गडल थल** ।

शरुड आड की अब तक डुनः डुरलडुतल नही हुई हैः

- वरष 2021 डें डलऑ डें से तीन शरुडक उन देशुु डें रहते थे जहलुु औसत वलरषकल शरुड आड अभी तक वरष 2019 की ऑुथी तडडही के अडने सुतर तक नही डहुँऑ डलई थुी ।

- नमिन, नमिन-मध्यम और उच्च-मध्यम आय वाले देशों (चीन को छोड़कर) में श्रमिकों को वर्ष 2021 में क्रमशः -1.6%, -2.7% और -3.7% की दर से कम श्रम आय भुगतान पर कार्य करना पड़ा।
- अनौपचारिक रोज़गार अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में लेकिन औपचारिक रोज़गार की तुलना में विपरीत स्थिति विद्यमान है:
 - उदाहरण के लिये औपचारिक रोज़गार से वसिथापति श्रमिक आजीविका चलाने के लिये अनौपचारिक रोज़गार का सहारा लेते हैं, जबकि जो पहले से ही अनौपचारिक रोज़गार में हैं, वे वहीं पर बने रहते हैं।
 - इस कारण से आर्थिक मंदी के दौरान अनौपचारिक रोज़गार में औपचारिक रोज़गार की तुलना में कम परिवर्तन देखा गया।
- **भारत:**
 - महामारी से पहले रोज़गार में संलग्न हर 100 महिलाओं में से महामारी की इस पूरी अवधि के दौरान औसतन 12.3 महिलाओं ने अपना रोज़गार खो दिया।
 - इसके विपरीत प्रत्येक 100 पुरुषों पर यह आँकड़ा 7.5 है।
 - इसलिये ऐसा लगता है कि महामारी ने देश में रोज़गार भागीदारी में पहले से ही व्याप्त लैंगिक असंतुलन को बढ़ा दिया है।
 - भारत में महिला रोज़गार में कमी आई है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में।

अनुशंसाएँ:

- श्रमिकों की कार्य क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये। ILO अच्छी नौकरियों और अच्छे वेतन की वकालत करता है।
 - भारत में अधिकांश लोग बर्ना कर्सी सामाजिक सुरक्षा के संविदा पर कार्य कर रहे हैं। यदि उचित मज़दूरी नहीं मिलती है, तो कार्य शक्ति भी कम हो जाएगी। **वेतन संहिता** वर्ष 2019 में पारित हुई थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है।
- एक मानव-केंद्रित पुनः प्राप्ति जो काम के उज्ज्वल और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में **सतत विकास** पथ स्थापित करती है, पहले से कहीं अधिक ज़रूरी है। जून 2021 में **109वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** में ILO के 187 सदस्य राज्यों की त्रिपक्षीय सहमति से इस तरह के दृष्टिकोण पर सहमति बनी, जिसने कोविड-19 संकट से **मानव-केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिये वैश्विक कार्रवाई** को अपनाया, जो समावेशी, टिकाऊ व लचीला है तथा वसित्तुत जानकारी प्रदान करता है। यह कार्रवाई सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संबोधित अनुशंसाओं का समूह है।
- जोखिम के आकलन के साथ विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों को समय पर प्रभावी समर्थन के लिये श्रम आय और समग्र जीवन स्तर की कार्य शक्ति की रक्षा व रखरखाव की आवश्यकता है।
- मुद्रास्फीति संबंधी समस्या के एक नीतित्तुत चुनौती के रूप में उभरने के साथ समष्टि आर्थिक नीतियों को सावधानीपूर्वक समायोजित करने की आवश्यकता है। साथ ही उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों के सख्त होने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल परिस्थित्तियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिये वित्तीय प्रवाह के विकल्पपूर्ण परबंधन की आवश्यकता होगी।
- लंबी अवधि में वसूल को बढ़ावा देने के लिये औपचारिकता, स्थिरता और समावेशिता के लक्ष्य के साथ अच्छी नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने हेतु अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई क्षेत्रीय नीतियों की आवश्यकता है।
- पुनःप्राप्ति अवधि के दौरान लोगों को संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिये लक्षित नीतियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं, जिसमें कमज़ोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करना और अनौपचारिक रोज़गार में काम करने वालों के लिये काम की स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के दौरान मदद करना शामिल है।
- श्रम बाज़ार में लचीलापन और नषिपक्षता के साथ योगदान करने के लिये इन पर्यासों को मज़बूत श्रम बाज़ार संस्थानों, सामूहिक सौदेबाज़ी एवं उन सामाजिक संवादों से जोड़ने की ज़रूरत है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान करते हैं।
- तत्काल आवश्यक सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य संबंधी उपायों सहित) सुनिश्चित करने और उचित बदलाव को बढ़ावा देने के लिये अच्छे रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण एक बड़ा अंतर ला सकता है।
 - इस संबंध में **‘ग्लोबल एक्सेलेरेटर फॉर जॉब्स एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांज़िशन’**, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक मुख्य रूप से हरित, डिजिटल अर्थव्यवस्था में कम-से-कम 400 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना है एवं वर्तमान में 4 बिलियन से अधिक लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा का वसित्तार करना एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- कई अन्य लक्ष्यों के अलावा इसे उद्यम-सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने, मानवीय क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है जो उत्पादक क्षमताओं का वसित्तार कर सके, लोगों की रक्षा कर सके और सामाजिक संवाद व श्रम मानकों की पूर्णता के संदर्भ में अधिक रोज़गार पैदा कर सके।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
 - वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

ILO का कन्वेंशन नंबर 144:

- वर्ष 1976 का कन्वेंशन 144 जिसे त्रिपक्षीय परामर्श (अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक) पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, एक आवश्यक सदिधांत के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना की गई थी, जो है:
 - अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के विकास और कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद।

- अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के संबंध में त्रपिकक्षीयवाद व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक संवाद की राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।

वर्गित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं?

- (a) बाल श्रम, (2018)
- (b) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं का अनुकूलन
- (c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- (d) कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: a

- वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973 (नंबर 138) और बाल श्रम कन्वेंशन के सबसे खराब रूप, 1999 (संख्या 182) के अनुसमर्थन को मंजूरी दी।
- कन्वेंशन 138: भारत कन्वेंशन 138 की पुष्टि करने वाला 170वाँ ILO सदस्य राज्य है, जिसके लिये राज्य पार्टियों को न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, इसके तहत किसी को भी रोजगार या किसी भी व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सविय हल्के काम और कलात्मक प्रदर्शन के।
- कन्वेंशन 182: कन्वेंशन 182 की पुष्टि करने के लिये भारत ILO का 181वाँ सदस्य राज्य भी बन गया है। यह गुलामी, जबरन श्रम और तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के नषिध तथा उनमूलन का आह्वान करता है; सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग; वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य एवं अवैध गतिविधियों (जैसे मादक पदार्थों की तस्करी) के लिये किसी बच्चे का उपयोग और खतरनाक काम आदि।
- ये सभी बाल श्रम (नषिध और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुरूप हैं, जो किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार या काम करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है तथा खतरनाक व्यवसायों व प्रक्रियाओं में कशोरों (14 से 18 वर्ष) के रोजगार को भी प्रतिबंधित करता है।
- इसके अतिरिक्त बाल श्रम (नषिध और वनियमन) केंद्रीय नियम, जैसा कि हाल ही में संशोधित किया गया है, पहली बार बाल एवं कशोर श्रमिकों की रोकथाम, नषिध, बचाव तथा पुनर्वास के लिये एक व्यापक और विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करता है।
- दो प्रमुख ILO सम्मेलनों के अनुसमर्थन के साथ भारत ने आठ प्रमुख ILO सम्मेलनों में से छह की पुष्टि की है। चार अन्य सम्मेलन- जबरन श्रम के उनमूलन, समान पारिश्रमिक और रोजगार तथा व्यवसाय में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करने से संबंधित हैं। **अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-of-work-report-ilo>